

न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :::: मांगेराम पूनियां R.T.S.  
मिसल नं. :::: 33 / 2022

सरकार बनाम सत्यवीर, सुभाष पुत्र चन्दगीराम,  
जाति-छिपी, निवासी-ढंढार

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 07.04.2022

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायलान उपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायलान सत्यवीर, सुभाष पुत्र चन्दगीराम, जाति-छिपी, निवासी-ढंढार, द्वारा मौजा ढंढार की राजकीय भूमि ख.नं. 159 कुल रकबा 0.24 है० किस्म गै.मु. रास्ता में से 0.001 है० भूमि पर पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायलान को नोटिस जारी किया गया। गैर सायलान ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया जिसमें आपने दादा के जीवनकाल से ही उक्त जगह पर बसा होना बताया है अर्थात् अपना पुराना कब्जा बताया है। गैर सायलान ने अपने कब्जे के विधिक होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया। गैर सायलान की ओर से प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं माना जा सकता। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायलान को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 5 रु. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी/ गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० सं० 4 के पृष्ठ सं० 01 पर  
वर्ष 2022-23 में रुपये 5/- कायम किए  
राजस्व लेखाकार

का  
(मांगेराम पूनियां )  
तहसीलदार, सूरजगढ़